न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—42/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. शकुन्तला उर्फ शगुन स्त्री दौजी जाति माली निवासी ग्राम डौरोली जिला अलवर ।
2. गंगासिंह पुत्र अडीसाल— मृतक जरिये वारिसान
2/1 प्रहलाद सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत,
2/2 सवाई सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत— मृतक
2/2/1 कोयल पत्नि सवाई सिंह राजपूत,
2/2/2 कालू सिंह पुत्र स्व0 सवाई सिंह जाति राजपूत,
3. मोहन सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत,
4. कानसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत,
5. गुड्डी पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत,
6. पप्पी पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत,
7. रतनबाई पत्नि गंगासिंह जाति राजपूत,
निवासीयान ग्राम समूची तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

.... अपीलांट्स

बनाम

1. कमल पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूची,
2. रतन उर्फ पप्पू पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूची तहसील कठूमर जिला अलवर।

..............असल रेस्पोडेण्ट

3. मुथरी बेवा सिंगा जाति माली निवासी समूची—मृतक
4. रघुनाथ पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूची—मृतक
5. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

...........तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—
1. श्री सुबेसिंह यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—18.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अदालत में दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 941 रकबा 10 बिस्वा, 1855 रकबा 16 बिस्वा, 1856 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1858 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1862 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1976 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 1977 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 1979 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 1980 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1862/2403 रकबा 1 बिस्वा वाके ग्राम समूची तहसील कठूमर में स्थित है जो साबिक खसरा नंबर 484, 792, 1424, 1425, 1426, 1427, 1431, 1513, 1514, 1519, 1566, 1569 वाके ग्राम समूची से बनाये हैं आराजी मुतनाजा घमण्डी पुत्र औमकार माली निवासी समूची तहसील कठूमर की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी तथा घमण्डी वादीगण का सगा दादा था और बुढापे में वादीगण ने ही सेवा चाकरी की थी तथा देखभाल व खाना पीना वादीगण ने ही किया तथा घमण्डी ने सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 10.11.1970 को एक वसीयत वादीगण के हक में तहरीर करवाकर अपने अंगूठा निशानी किया था और उक्त वसीयत में मृतक घमण्डी ने आराजी खसरा नंबर 752, 1424, 1425, 1427, 1431, 1513, 1514, 1519, 607 सालिम वो खसरा नंबर 484 का 1/2 हिस्सा 614 का 1/8 हिस्सा 615 में से 1/8 हिस्सा व इस आराजी में बेडियों के जो पेड थे तथा मकान घर घूडा बाडा आदि का वो अचल संपत्ति को वादीगण के हक में वसीयत कर तहरीर कर दिया था कि उक्त आराजी मेरे मरने के बाद वादीगण कमल व रतिन की होगी और उक्त दोनों ही उक्त आराजी के मालिक व खातेदार रहेंगे। उक्त वसीयत मृतक घमण्डी ने दिनांक 10.11.1970 को रामसिंह व भुवर सिंह राजपूत से तहरीर करवाकर होश हवास में बिना किसी दबाव के लिखवाकर अपने अंगूठा निशानी किये थे तथा मृतक घमण्डी के मरने के बाद वादीगण उक्त आराजी का काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं तथा मौके पर वादीगण काबिज है इस प्रकार वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। घमण्डी को मरे हुये काफी समय हो चुका है तथा उसके मरने के दिन से वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये हैं लेकिन पटवारी हल्का को मुताबिक वसीयतनामा वादीगण के नाम तनहा इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिये था और उक्त गलत इन्द्राज के हो जाने की वजह से वादीगण का नाम न होने से वादीगण के खातेदारी हकूक जायल होते हैं।वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इनकार कर एलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे और मृतक सिंगा की विरासत का इन्तकाल हमारे नाम करवायेंगे।उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन बय कर देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर मृतक सिंगा का विरासत इन्तकाल अपने व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूची दर्ज गलत रूप से कराया है जो वादीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर है तथा काबिले खारिज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसकी पुत्री शकुन्तला प्रतिवादनी संख्या 4 ने गलत इन्तकाल के आधार पर तथा दावा के दौरान व अदालत हाजा से स्टे होते हुये भी दो किता बयनामा दिनांक 10.10.1995 को बिना कोई जरे बय की रकम लिये व बिना कब्जा संभलवाये गलत बयनामे करवाये हैं जो मुकाबिले वादीगण शून्य करार दिये जाने योग्य है। वादीगण मुताबिक बयनामा के आराजी मुतनाजा को अपने नाम खातेदारी कराने के मुस्तहक

62

हैं प्रतिवादी को उक्त आराजी के बाबत किसी तरह के अधिकार प्राप्त नही होते हैं। अतः वादीगण ने विवादित आराजी की अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूची शून्य घोषित करवाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नही आया जिसके विरूद्ध दिनांक 04.08.2006 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहत अदालत द्वारा दिनांक 30.04.2018 को मिन अपीलांट को बिना सुने ही गलत तथ्यों पर दावा वादी डिक्री किया गया जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि घमण्डी ने वादीगण को व उनके हक में दिनांक 10.11.1970 को अथवा कभी भी कोई वसीयत नही की थी , न किसी वसीयत पर अपने अंगूठा निशानी किया गया था। वादीगण रेस्पो0 ने कोई सेवा चाकरी भी मृतक घमण्डी की नही की थी न वो कर सकते थे क्योंकि सन 1970 में वादीगण की इतनी उम्र ही नही थी कि वो घमण्डी की सेवा चाकरी कर पाते। जब वादीगण द्वारा तथाकथित सेवा चाकरी नही की गई थी तो वादीगण रेस्पो0 के हक में तथाकथित वसीयत घमण्डी द्वारा तहरीर करने का सवाल ही पैदा नही होता था लेकिन तहत अदालत द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर कतई विवेचन नही किया व गलत प्रकार से तथाकथित वसीयत को सही मानते हुये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। असल रेस्पो0 वादीगण जो एक तेज व चालाक किस्म के व्यक्ति है जिनके द्वारा मृतक सिंगा को हिस्से की आराजी को हडपने के लिये तथाकथित वसीयत फर्जी तरीके से तैयार कराई एवं जब उनको फर्जी व कूटरचित तथाकथित वसीयत में सफलता नही मिली तो मिन अपीलांटान को बेजा नुकसान पहुंचाने की नियत से झूठे आधारों पर दावा तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया लेकिन तहत अदालत द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड एवं मौके कब्जा पर कतई अवलोकन नही किया एवं गलत प्रकार से तथाकथित वसीयत को सही मानते हुये निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है। तथाकथित वसीयत दिनांक 10.11.1970 को फर्जी है क्योंकि स्टाम्प वाद में पूर्व की तारीख में लिया है जो स्टाम्प दिनांक 24.09.1977 को जारी हुआ है जिसकी ओवर राईटिंग कर सन 1977 के आखिरी साल को अंग्रेजी में शून्य बना दिया और तारीख बदलकर 24 सितम्बर तथा सात का हिन्दी में शून्य का शब्द अंग्रेजी में हो गया। इस फर्जी जाली वसीयतनामा के आधार पर वादी रेस्पो0 जमीन हडप करना चाहते हैं। जिससे भी उक्त तथाकथित वसीयत फर्जी साबित होती है लेकिन तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया। रेस्पो0 को सिविल न्यायालय से वसीयतनामा को सही व सत्य साबित कराना चाहिये था। तथाकथित वसीयत जो रजिस्टर्ड नही है एवं रजिस्टर्ड वसीयत नही होने के कारण साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य नही थी एव ना ही पढे जाने योग्य थी लेकिन तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया। वसीयतनामे के समस्त एरेसटिंग गवाहों के बयान अधीनस्थ न्यायालय को लिये जाने चाहिये थे। मिन

अपीलांट संख्या 2 लगायत 7 जो कि विवादित आराजी के बोनाफाईड परचेजर एवं मालिक है तथा मिन अपीलांट द्वारा प्रतिफल राशि अदा करके आराजी को विक्रय किया गया था एवं खातेदार मुथरी व शकुन्तला को आराजी को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था एवं उनको आराजी की बाबत अधिकारात होने पर ही मिन अपीलांटान द्वारा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.10.1995 को खरीद किया गया तथा बाद खरीद से मिन अपीलांट बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं। एवं उनको तमाम अधिकार प्राप्त है एवं मौके पर काबिज हैं लेकिन तहत अदालत द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा व दस्तावेजी साक्ष्य पर कतई गौर नही किया गया।रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.10.1995 जो कि मिन अपीलांट के हक में उपपंजीयक महोदय, द्वारा तहरीर व तस्दीक किया गया था जिस रजिस्टर्ड बयनामा को बातिल बेअसर व शून्य करार दिलाये जाने व निरस्त किये जाने का अधिकारात केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है ना कि राजस्व न्यायालय को इस तरह के कोई अधिकारात प्राप्त है लेकिन तहत अदालत द्वारा अपनी सीमाओं से बाहर जाकर यह निर्णय व डिक्री पारित की गई है। तहत अदालत के समक्ष वादी असल रेस्पो0 यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा था कि तथाकथित वसीयत फर्जी व नुमाईश नही है एवं किस प्रकार से सही है। वादी असल रेस्पो0 के हक में वसीयत होने एवं वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद उनके द्वारा इन्तकाल की कार्यवाही क्यों नही कराई गई जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि वादी असल रेस्पो0 द्वारा फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा तैयार किया गया था जिसके आधार पर झूठे आधारों पर दावा पेश किया गया। वादी रेस्पो0 द्वारा अपने वाद पत्र व अभिकथनों में यह अंकित नही किया कि घमण्डी की मृत्यु कब हुई एवं गलत इन्द्राजात की जानकारी किस समय हुई और कब इनकार किया गया व किस तारीख को धमकी दी गई तमाम तथ्य अंकित नही करने के कारण अन्दर मियाद नही था, खारिज किये जाने योग्य था। तहत अदालत द्वारा अपने निर्णीत व डिक्री में मौके व कब्जे की रिपोर्ट तलब नही की और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य व दस्तावेज रिकार्ड पर कतई गौर किया। विधि विरूद्ध वादी रेस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व पूर्व रिकार्ड को कलमजन किये जाने की निर्णय डिक्री पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण तहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनकर व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद व मौके की रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर ही वाद का निर्णय किया जाना चाहिये था लेकिन ना तो मिन अपीलांटान को वाद की सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किये गये और ना ही मिन अपीलांटान को सुना गया एव ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2018 को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उक्त विवादित आराजी मुतनाजा घमण्डी पुत्र औमकार माली निवासी समूची तहसील कठूमर की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी तथा घमण्डी वादीगण का सगा दादा था और बुढापे में वादीगण ने ही सेवा चाकरी की थी तथा देखभाल व खाना पीना वादीगण ने ही किया तथा घमण्डी ने सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 10.11.1970 को एक वसीयत वादीगण के हक में तहरीर करवाकर अपने अंगूठा निशानी किया था और उक्त वसीयत में मृतक घमण्डी ने आराजी

खसरा नंबर 752, 1424, 1425, 1427, 1431, 1513, 1514, 1519, 607 सालिम वो खसरा नंबर 484 का 1/2 हिस्सा 614 का 1/8 हिस्सा 615 में से 1/8 हिस्सा व इस आराजी में बेडियों के जो पेड थे तथा मकान घर घूडा बाडा आदि का वो अचल संपत्ति को वादीगण के हक में वसीयत कर तहरीर कर दिया था कि उक्त आराजी मेरे मरने के बाद वादीगण कमल व रतिन की होगी और उक्त दोनों ही उक्त आराजी के मालिक व खातेदार रहेंगे। उक्त वसीयत मृतक घमण्डी ने दिनांक 10.11.1970 को रामसिंह व भुवर सिंह राजपूत से तहरीर करवाकर होश हवास में बिना किसी दबाव के लिखवाकर अपने अंगूठा निशानी किये थे तथा मृतक घमण्डी के मरने के बाद वादीगण उक्त आराजी का काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं तथा मौके पर वादीगण काबिज है इस प्रकार वादीगण रेस्पो0 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। घमण्डी को मरे हुये काफी समय हो चुका है तथा उसके मरने के दिन से वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये हैं लेकिन पटवारी हल्का को मुताबिक वसीयतनामा वादीगण के नाम तनहा इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिये था और उक्त गलत इन्द्राज के हो जाने की वजह से वादीगण रेस्पो0 का नाम न होने से वादीगण के खातेदारी हकूक जायल होते हैं।वादीगण रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण अपीलांट से उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इनकार कर एलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे और मृतक सिंगा की विरासत का इन्तकाल हमारे नाम करवायेंगे।उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन बय कर देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर मृतक सिंगा का विरासत इन्तकाल अपने व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूची दर्ज गलत रूप से कराया है जो वादीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर है तथा काबिले खारिज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसकी पुत्री शकुन्तला प्रतिवादनी संख्या 4 ने गलत इन्तकाल के आधार पर तथा दावा के दौरान व अदालत हाजा से स्टे होते हुये भी दो किता बयनामा दिनांक 10.10.1995 को बिना कोई जरे बय की रकम लिये व बिना कब्जा संभलवाये गलत बयनामे करवाये हैं जो मुकाबिले वादीगण शून्य करार दिये जाने योग्य है। वादीगण रेस्पो0 मुताबिक बयनामा के आराजी मुतनाजा को अपने नाम खातेदारी कराने के मुस्तहक हैं प्रतिवादी अपीलांट को उक्त आराजी के बाबत किसी तरह के अधिकार प्राप्त नही होते हैं। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप है।अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

आरआरटी 2018(1) पेज 751,

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

आरबीजे(26)2019 पेज 410,

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2018 का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्योंकि वसीयत की सत्यता के बारे में सिविल कोर्ट में निर्णय हो चुका है।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू होती हैं क्योंकि जब अभिकथनों के आधार पर वाद विक्रय पत्र शून्य है तो वह काश्तकारी भूमि से संबंधित है वादी द्वारा वाद केवल राजस्व न्यायालय में ही पोषणीय है, का आधार लिया गया है।

जमाबंदी संवत 2028 के अनुसार विवादित आराजीयात घमण्डी पुत्र ओमकार माली के नाम दर्ज है। तत्पश्चात संवत 2048 में सिंगा पुत्र घमण्डी 1/2 हिस्सा, कमल, पप्पू रूघनाथ पि. मुरली माली 1/2 हिस्सा नाम दर्ज है।

असल वसीयत द्वारा घमण्डी बेटा ओमकार माली प्रदर्श पी–4 दिनांक 03.09.2018 एवं बयनाम प्रदर्श पी–5 व पी–6 भी संलग्न है। प्रदर्श पी–8 प्रमाणित फोटो प्रति न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर एफ.आर. संख्या 137/96 बउनवान एफ.आर बनाम मुथरी आदेश दिनांक 08.12.1997 है।

अधीनस्थ अदालत में उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया। दावा व जबावदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई। रेस्पो0 की अदम पैरवी में पत्रावली में एकतरफा कार्यवाही पर्याप्त समय देने के बाद दिनांक 20.04.2012 को की गई। 2018 में निर्णय पारित किया गया है। 6 वर्षों के अन्तराल में अपीलांट एक्सपार्टी को ओपन करवा सकता था।

वसीयत द्वारा घमण्डी पुत्र ओमकार माली दिनांक 10.11.70 को सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क.खण्ड कठूमर द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.12.1997 को सही होने का आदेश दिया है।

वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। राजस्थान राज्य में वसीयत को प्रोबेट कराने की आवश्यकता भी नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय में कोई त्रुटि नही पाई गई। पारित निर्णय दिनांक 30.04.2018 विधिसम्मत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 31.05.2018 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.2.2020

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर